रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 1986/वैशाख 15, 1908
No. 221] NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 1986/VAISAKHA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 1986

अधिसूचना

सं. 304/86-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 732(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ; भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधि-

सूचना सं. 172 सीमाशुल्क, तारीख 8 अगस्त, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ (2) में "शीर्ष सं. 85.01" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं. 85.01 या 85.03" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(2) क्रम सं. 7 के सामने,—

(क) "शीर्ष सं. 85.25 या 85.26" शब्दों और अंकों के स्थान पर "शीर्ष सं. 85.25, 85.26 या 85.29" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि (ii) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(iii) शीर्ष सं. 85.27 या 85.28 के अन्तर्गत आने वाले साधित्रों के साथ, एकमात्र रूप से या प्रधान रूप से प्रयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे;

(iv) खिलौनों और उनके भागों के दूर नियंत्रण के लिए रेडियो साधित्र"।

[फा. सं. 528/42/86-सीशु(टीयू)]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th May, 1986

NOTIFICATION

No. 304|86-CUSTOMS

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry

of Finance, Department of Revenue, No. 172-Customs, dated the 8th August, 1977, namely :—

In the said notification,—

(i) against Sl. No. 3, in column (2), for the words and figures "Heading No. 85.01", the words and figures "heading No. 85.01 or 85.03" shall be substituted ;

(ii) against Sl. No. 7,—

(a) for the words and figures "Heading No. 85.25 or 85.26", the words and figures "heading No. 85.25, 85.26 or 85.29" shall be substituted ,

(b) in column (4), after entry (ii), the following entries shall be inserted namely :—

"(iii) Parts suitable for use solely or principally with the apparatus falling under heading No. 85.27 or 85.28.

(iv) Radio apparatus for the remote control of toys and parts thereof."

[F. No. 528/42/86-Cus. (TU)]

M.N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986